

एनएसक्यूएफ अर्हता फाइल
दिनांक 29 जुलाई, 2021 को आयोजित 10वीं
एनसीवीईटी-एनएसक्यूसी की बैठक में अनुमोदित

एनसीवीईटी कोड:
2021/PWD/SCPWD/04417

अर्हता फाइल - प्रस्तुत करने वाले निकाय का सम्पर्क विवरण
प्रस्तुतकर्ता निकाय का नाम तथा पता :

दिव्यांगजन कौशल परिषद,
501, सिटी सेंटर, प्लॉट नम्बर 5, सेक्टर - 12,
द्वारका, नई दिल्ली - 110076
011 2808 5058-59
info@scpwd.in

प्रस्तुतिकरण के कार्य करने वैयक्तिक का नाम एवं पता विवरण

नाम: श्री रविन्द्र सिंह

संगठन में धारित पद : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पता, यदि उपर्युक्त से भिन्न है : उपर्युक्तानुसार

टेलीफोन नम्बर : + 91-011-2808558-59

ईमेल पता : ravindra.singh@scpwd.in

अर्हता फाइल के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची

1. वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए विशेष निर्मित हिन्दी टाइपिस्ट पाठ्यक्रम का अर्हता पैक
2. वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए हिन्दी टाइपिस्ट के संबंध में क्यूआरसी अनुमोदन (संयुक्त प्रेक्षण शीट)
3. मूल्यांकनकर्ता के लिए वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों से संबंधित दिशानिर्देश
4. वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों एवं प्रशिक्षक द्वारा की जाने वाली पूर्व व्यवस्थाओं की सूची

दिव्यांगजनों के लिए अर्हता फाइल का सार संक्षेप

अर्हता शीर्षक	हिन्दी टाइपिस्ट - पीडब्ल्यूडी एसएचआई
अर्हता कोड, यदि कोई हो	पीडब्ल्यूडी / एमईपी / क्यू 0210
उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने वाला/वाले निकाय	एसपीपीब्ल्यूडी से सम्बद्ध मूल्यांकन एजेंसी (एए)
अर्हता के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला / वाले निकाय	दिव्यांगजन कौशल परिषद (स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी)
निकाय का नाम जो प्रदाताओं को अर्हता की प्रस्तावना के लिए मान्यता प्रदान करेगा	दिव्यांगजन कौशल परिषद (स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी)
अनुमानित अध्ययन घंटे	288
अधिकतम अवधि	510
दिव्यांगता	वाक् एवं श्रवण बाधित (एसएचआई)
प्रवेश अपेक्षाएं	8वीं कक्षा उत्तीर्ण
अर्हता की औपचारिक संरचना	

वाक् एवं श्रवण बाधित				
यूनिट अथवा अन्य कंपोनेंट का शीर्ष (उपयोग में लाए गए किसी पहचान कोड सहित)	अनिवार्य / वैकल्पिक	अनुमानित आकार (अध्ययन घंटे)		स्तर
क) अनिवार्य कंपोनेंट				
मूलभूत भारतीय संकेत चिन्हां का अध्ययन (आईएसएल) (ब्रिज माड्यूल-दिव्यांगजन)	अनिवार्य	15	15	
अंग्रेजी का आधारभूत उपयोग (ब्रिज माड्यूल-दिव्यांगजन)	अनिवार्य	25	15	
वैयक्तिक एवं सामाजिक कौशल (ब्रिज माड्यूल-दिव्यांगजन)	अनिवार्य	8	2	
कार्यस्थल पर व्यावसायिक एवं आचार व्यवहार (ब्रिज माड्यूल-दिव्यांगजन)	अनिवार्य	8	2	
कीबोर्ड कौशल के उपयोग में महारत हासिल करना	अनिवार्य	0	20	
कौशल भारत एवं हिन्दी टाइपिस्ट की कार्य भूमिका का परिचय (ब्रिज माड्यूल)	अनिवार्य	3	0	4
सूचना को सहेजने, पुनः प्राप्त करने एवं संचार के लिए कम्प्यूटर्स का उपयोग (एमईपी / एन0216)	अनिवार्य	10	20	4
हिन्दी फॉन्टों एवं टाइपिंग टूल्स इंस्टाल करना तथा उनका उपयोग (एमईपी / एन0236)	अनिवार्य	29	34	4
विभिन्न प्रकार के हिन्दी दस्तावेज तैयार करना (एमईपी / एन 0238)	अनिवार्य	24	32	4
हिन्दी दस्तावेजों की प्रूफ रीडिंग (एमईपी / एन 0239)	अनिवार्य	16	24	4
रिकार्डों तथा दस्तावेजों का रखरखाव (एमईपी / एन 0241)	अनिवार्य	24	32	4
कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवहारों का उपयोग (एमईपी / एन 9903)	अनिवार्य	4	6	4

कार्यस्थल पर व्यावसायिक व्यवहार के सिद्धांतों का उपयोग (एमईपी/एन9912)	अनिवार्य	10	20	4
उप योग (क)		176	222	
ख) वैकल्पिक कंपोनेंट				
दस्तावेज तैयार करने के लिए हिन्दी आशुलिपि का उपयोग (एमईपी / एन 0237)	वैकल्पिक	32	80	4
उप योग (ख)		32	80	
योग (क + ख)		208	302	

मूल्यांकन

मूल्यांकन करने वाली एजेंसी का नाम (एए)

यदि इस अर्हता के लिए एक से अधिक मूल्यांकन करने वाली एजेंसियां हैं, तो विवरण प्रस्तुत करें।

- एस्पायरिंग माइंड्स एस्सेसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- इंडसलिक ट्रेनिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (मर्सर - मैटल)
- एसपी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- ट्रेडसेटर्स स्किल एस्सेस प्राइवेट लिमिटेड

मूल्यांकन एजेंसियों की उपर्युक्त सूची सीमित नहीं है तथा दिव्यांगजन कौशल के साथ पैलबद्ध होने और एसएससी एवं दिव्यांगजन कौशल परिषद से कार्य भूमिका के लिए मूल्यांकनकर्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया

नोट: दिव्यांगजन कौशल परिषद ने एसएससी के डोमेन को अंगीकार किया है तथा किए जाने वाले मूल्यांकन एसएससी डोमेन द्वारा अनुमोदित एवं दिव्यांगजन कौशल परिषद के साथ पैलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं। दिव्यांगजन कौशल परिषद में दृष्टिहीन, न्यून दृष्टि, **वाक् एवं श्रवण बाधिता** तथा **लोकोमोटर दिव्यांगता** के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों का निर्माण किया गया है जो उम्मीदवारों के मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं। दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण (टीओए) करके उनमें दिव्यांगजनों के प्रति अनुकूलता एवं संवेदनशीलता का संचार किया जाता है।

मूल्यांकन के लिए दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया:

एक समानांतर परिषद होने के कारण, मूल्यांकन एजेंसियां डोमेन एसएससी द्वारा जारी मूल्यांकन प्रक्रियाओं की पूर्व अपेक्षाओं का अनुसरण करती हैं। इसके अलावा, उन्हें दिव्यांगजन कौशल परिषद के दिशानिर्देशों का भी अनुसरण करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन नीचे प्रस्तुत है:

मूल्यांकन से पहले के चरण-

1. दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा पोर्टल/ईमेल के माध्यम से मूल्यांकन एजेंसी के लिए बैच का निर्धारण।
2. मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता से संपर्क किया जाना और ईमेल के माध्यम से मूल्यांकन की तिथि की सूचना देना/पुष्टि करना।
3. मूल्यांकन एजेंसी द्वारा टीपी के साथ ईमेल के माध्यम से लैब के लिए अपेक्षित अवसंरचना और जांच सूची साझा किया जाना और उपलब्धता के बारे में चर्चा करना।
4. मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता के साथ संरेखण किया जाना (मूल्यांकनकर्ता के पास डोमेन एसएससी के साथ-साथ दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा जारी दोहरा प्रमाणन होना चाहिए तथा प्रमाणन मान्य होना होना चाहिए)।
5. मूल्यांकन लिंक, प्रारूपों का निर्माण करना तथा इन्हें ईमेल के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता के साथ साझा करना।
6. प्रशिक्षण भागीदार के साथ मूल्यांकन के डेमो लिंक ईमेल से साझा करना।

मूल्यांकन चरण -

1. मूल्यांकनकर्ता द्वारा आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से पहचान और दिव्यांगता की पुष्टि करना और किसी भी विसंगति की रिपोर्ट दिव्यांगजन कौशल परिषद को करना [जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में उम्मीदवारों की पहचान मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड से भी की जा सकती है]।

2. उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी देना (मूल्यांकन शुरू होने से पहले)।
3. मूल्यांकनकर्ता द्वारा लैब के उपकरणों का सत्यापन किया जाना और किसी भी भिन्नता के मामले में दिव्यांगजन कौशल परिषद को रिपोर्ट करना।
4. प्रत्येक उम्मीदवार के फोटो पहचान पत्र के सत्यापन के बाद, योजना अपेक्षाओं अर्थात् प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अनुसार उम्मीदवार की उपस्थिति आधार समर्थित मूल्यांकक एप्प के उपयोग से दर्ज की जानी है, तथापि, अन्य योजनाओं के लिए उम्मीदवार उपस्थिति शीट में हस्ताक्षर कर सकते हैं।
5. टेबलेट/कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग से उम्मीदवारों का मूल्यांकन करना।
6. मूल्यांकनकर्ता द्वारा सम्बद्ध क्रियाकलापों के चित्र एवं वीडियो रिकार्ड करके दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी किया जाना।

मूल्यांकन के बाद का चरण-

1. मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सर्वर में दर्ज प्रतिक्रियाओं के आधार पर परिणाम तैयार किया जाना।
2. मूल्यांकन एजेंसी द्वारा दिव्यांगजन कौशल परिषद को निर्धारित प्रारूप में परिणाम साझा किया जाना।

भाग 2

आवश्यकता का प्रमाण

अर्हता की आवश्यकता का क्या कोई प्रमाण सम्मुख है?

इस कार्य भूमिका का चयन एवं वाक् एवं श्रवण बाधित के अनुरूप इसकी रूपरेखा का अनुकूलन उद्योग, प्रशिक्षण भागीदारों, विशेषज्ञों एवं स्वयं सम्माननीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों की मांग पर किया गया है।

इस अर्हता का अनुमानित उपयोग कितना है और ऐसे अनुमान का आधार क्या है?

वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिणामस्वरूप लॉकडाउन एवं वर्ष 2020 की इस आपदा से जुड़ी वैश्विक मंदी के कारण श्रम बाजार भविष्य के प्रति व्याप्त अत्यधिक अनिश्चितता के प्रभाव से जूझ रहा है और आगे बढ़ने के उद्देश्य से कार्य प्रवाह को गति प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रौद्योगिकी, सामाजिक आर्थिक, भ्राजनेतिक एवं जनसांख्यिक विकास क्रमों एवं इनमें हो रही अन्योन्यक्रियाओं से विद्यमान नौकरियों में आंशिक अथवा पूर्ण बदलाव के साथ नौकरियों की नई श्रेणियां उत्पन्न होंगी। सभी प्रकार की कम्पनियों में प्रबंधन सेक्टर की नौकरियां होती हैं तथा नई कम्पनियों के गठन एवं वर्तमान कम्पनियों में हो रहे विस्तार के प्रभाव से आगे नेतृत्व के लिए इन्हें अब कर्मचारियों के साथ सहकार्यताएं करनी होंगी।

प्रबंधन व्यवसाय में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2029 में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के पूर्वानुमान लगाए गए हैं जो कि अन्य सभी नौकरियों के औसत से काफी तीव्र हैं तथा इससे 505,000 नई नौकरियां उत्पन्न होंगी। मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे इंडिया 2020 की लोक प्रशासन नियोक्ता रिपोर्ट में +9% के नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक (निवल रोजगार संभावनाएं) के साथ नौकरियों की बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं व्यक्त की गई हैं।

नई कम्पनियों के गठन एवं वर्तमान कम्पनियों में हो रहे विस्तार के प्रभाव से रोजगार उत्पत्ति संभावित है जिससे परिचालनों के लिए और अधिक कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रबंधन के व्यवसाय में माध्यक औसत वेतन अन्य सभी प्रकार के व्यवसायों की तुलना में सर्वाधिक पाया गया है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन, अस्पष्ट उद्योग सीमाओं एवं उदयीमान डिजिटल व्यवहार नामक तीन परस्पर भूमिका का निर्वाह करने वाले परिवर्तक भविष्य में आकाश की बलंदियों को छू लाने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2020 में घटी घटनाओं से कर्मचारियों में अपना स्वयं का विकास स्वयं में स्वायत्तता एवं वैयक्तिक उत्तरदेयता का भाव विकसित हो रहा है। विभिन्न आनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्लेटफार्मों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनेक कामगारों ने अपने संगठन के मूल्यों में संवर्धन में योगदान के लिए इस वर्ष आनलाइन अध्ययन एवं विकास के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। अत्यधिक परिवर्तशील बाजार के लिए व्यक्ति एवं व्यवसाय ऐसे नए मार्गों को अंगीकार करने की नई विधियां ज्ञात कर रहे हैं जो उन्हें परिवर्तित बाजार का वाहक बना सकती हैं। प्रबंधक की पारम्परिक भूमिका में रिमोट वर्क कार्यक्रम, कर्मचारियों की वैयक्तिक आवश्यकताओं जैसे कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वाह करने के लिए नए कौशल जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जानी चाहिए जिससे कि प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति से वे निपट सकें और साथ ही उन्हें व्यक्तियों एवं प्रक्रियाओं, दोनों, में अंतर्निहित अचेतन भांतियों का अनावरण करने एवं उन्हें न्यून करने के प्रयास भी करने चाहिए। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में यह बताया गया है कि समस्याओं का समाधान करने की क्षमता की अनिवार्यता के विचार से आने वाले वर्षों में नौकरियों की मांग की सम्बद्धता डेटा, एआई, एवं मशीन लर्निंग से ही होगी। रोजगार के नव स्वरूपों में भी सामाजिक एवं वैयक्तिक कौशलों को प्राथमिकता प्राप्त है तथा इनके मूल्यों को औद्योगिक प्रक्रियाओं, किसी कार्य विशेष की अत्यधिक विशेषज्ञता से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। समालोचनात्मक विचारशैली, विश्लेषणात्मक क्षमता, भावात्मक समझ, एवं संज्ञानात्मक लोचकता जैसे कौशल अब इस नई वास्तविकता के अनिवार्य तत्व बन सकते हैं।

वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान सामाजिक सम्पर्क का दायरा बढ़ा है और वैयक्तिक सम्पर्क का दायरा कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कम्पनियों ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों का काफी अधिक उपयोग किया है। इस बदलाव से दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों के अवसर प्रबल हुए हैं तथा समाज की मुख्य धारा का अंग बनने के लिए उन्हें अब अपनी पसंद के अनुरूप मुख्य प्रवाह के आजीविका विकल्प प्राप्त होने लगे हैं।

इस संदर्भ में, दिव्यांगजनों के पास पर्याप्त कौशल होने का सुनिश्चय करना अब और अधिक प्रासंगिक हो गया है। नियोजकों द्वारा अपेक्षित तकनीकी एवं सामान्य प्रकार के कौशल के अभाव में भारतीय स्नातकों का काफी विशाल प्रतिशत रोजगार योग्य नहीं है। जहां एक और अधिकतर आवेदकों को उनके औद्योगिक कौशल के आधार पर नौकरी प्रदान की जाती है वहीं अक्सर उनमें सामान्य प्रकार का कौशल न होने के कारण नौकरी से निकाला भी जाता है।

यह सामान्य / व्यवहारिक / सॉफ्ट / रोजगार योग्यता कौशल का सामुच्च्य है जिससे व्यक्ति के सामर्थ्य में विविधता उत्पन्न होती है। वर्तमान में, श्रम बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल सेवा प्राप्त के आकांक्षी युवा दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उन लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता बढ़ रही है जिनकी नौकरी खतरे में हो सकती है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और घटती हुई नौकरियों के साथ उद्यमिता की प्रवृत्ति आगे बढ़ने की है जिसका इष्टतम उपयोग घोषित कौशल भारत अभियान को सफल बनाए जाने के लिए किया ही जाना चाहिए।

प्रबंधन उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जो ऐसी कार्य भूमिकाओं पर केंद्रित है जो न केवल क्षेत्र और उद्योग के लिए अपितु कार्यात्मकता के लिए भी विशिष्ट हैं। इन भूमिकाओं के लिए एमईपीएससी द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवार स्वयं में व्याप्त सभी क्षेत्रों की कार्यात्मकता के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। एक बहु-क्षेत्रीय क्षैतिज परिषद होने के कारण दिव्यांगजन कौशल परिषद के विचार से प्रबंधन क्षेत्र की लोचकता और अवसरों को ध्यान में रखते हुए युवा दिव्यांगजनों के लिए स्व-रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तदनुसार, मांग की पूर्ति के लिए युवा दिव्यांगजनों को कौशल प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

इस सुनिश्चय के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि अर्हता (अर्हताएं) एनएसक्यूएफ के पास पहले से ही विद्यमान अथवा योजनागत अर्हताओं के अनुसार समान प्रकार की नहीं हैं ?

डोमेन एसएससी द्वारा समान प्रकार की न होने का सुनिश्चय किया गया है।

अर्हता (अर्हताओं) की देखरेख एवं समीक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं स्थापित हैं? किस प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाएगा तथा किस कारण से अर्हता (अर्हताओं) को संशोधित अथवा अद्यतन किया जा सकेगा?

हिन्दी टाइपिस्ट के लिए अंगीकार किया गया अर्हता पैक दिव्यांगजनों के लिए औद्योगिक मांग पर आधारित है। दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा दिव्यांगता विशिष्ट व्याख्या के साथ तैयारी की गई है जिनमें विशिष्ट दिव्यांगता के संबंध में उपकरणों / तकनीक / सहायक डिवायसों से संबंधित विस्तृत सूचना का समावेश है। डोमेन एसएससी द्वारा क्षेत्र में हुए सामयिक परिवर्तनों के समावेश के लिए निरंतर अंतरालों में अर्हता पैक संशोधित किया जाता है। इसी प्रकार, व्याख्या की समीक्षा करके दिव्यांगता विशिष्ट में हुए किसी प्रकार के आगामी विकास / नवोपायों का समावेश भी विद्यार्थियों की सुविधा के साथ साथ प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए किया जाता है। यहां ध्यान दिए जाने योग्य तथ्य यह है कि जब कभी डोमेन एसएससी द्वारा अंगीकृत अर्हता पैक में संवादी संशोधन किए जाते हैं तो दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा सम्बद्ध कार्य भूमिका के लिए संशोधन किए जाते हैं।

अनुलग्नक 1: क्यूआरसी अनुमोदन (संयुक्त प्रेक्षण शीट)

संयुक्त प्रेक्षण शीट

क्यूआरसी की बारहवीं तथा तेरहवीं बैठक | वित्तीय वर्ष 2020-21 | 18 फरवरी, 2021 तथा 19 फरवरी, 2021

क्यूआरसी सदस्यों की उपस्थिति 18 फरवरी, 2021	
डा. एस.एस. आर्य	एग्रीकचलर स्किल काउंसिल
श्री आशिष जैन	हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल
डा.जे.वी.राव	टेक्स्टाइल सेक्टर स्किल काउंसिल
डा.संध्या चिंताला	एसएससी - एनएसएससीओएमएम
डा. प्रवीण सक्सेना	स्किल काउंसिल फार ग्रीन जॉब्स
श्री राजेश रतनाम	लैदर सेक्टर स्किल काउंसिल
डा. रूपक वशिष्ठ	एपरेल मेड-अप्स होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
कर्नल अनिल कुमार पोखरियाल	मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप स्किल काउंसिल
श्री रविन्द्र सिंह	दिव्यांगजन कौशल परिषद
श्री मोहित सोनी	मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल

क्यूआरसी सदस्यों की उपस्थिति 19 फरवरी, 2021	
डा. एस.एस. आर्य	एग्रीकचलर स्किल काउंसिल
श्री आशिष जैन	हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल
डा.जे.वी.राव	टेक्स्टाइल सेक्टर स्किल काउंसिल
डा.संध्या चिंताला	एसएससी - एनएसएससीओएमएम
डा. प्रवीण सक्सेना	स्किल काउंसिल फार ग्रीन जॉब्स
श्री राजेश रतनाम	लैदर सेक्टर स्किल काउंसिल
डा. रूपक वशिष्ठ	एपरेल मेड-अप्स होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
कर्नल अनिल कुमार पोखरियाल	मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप स्किल काउंसिल
श्री रविन्द्र सिंह	दिव्यांगजन कौशल परिषद

5.	<p>दिव्यांगजन कौशल परिषद 17 क्यूपी, 24 एमसी तथा 2 एक्सपोजिटरी</p> <p>उपस्थित प्रतिनिधि : श्री रविन्द्र सिंह निहारिका निगम</p>	<p>दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा 2 एक्सपोजिटरी के सम्मुख 17 क्यूपी का अपना मामला प्रस्तुत किया गया। कार्य भूमिकाओं के लिए प्रवेश मापदंड एवं प्रशिक्षण की अवधि में संशोधन किए जाने पर चर्चा की गई, जो एसएससी के अनुसार थी तथा जिनका डोमेन एसएससी द्वारा अनुमोदित किया गया था। डोमेन क्षेत्रों में कार्य भूमिकाओं में कैरियर प्रौन्नति के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। कम्पनियों द्वारा दिव्यांगजनों की सेवाएं लिए जाने के मामले पर विचार विमर्श किया गया तथा एसएससी द्वारा किए गए ध्यानाकर्षण के अनुसार कैरियर प्रौन्नति को सुचारु बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षकों के लिए कार्य भूमिका का निर्माण किए जाने का संकल्प लिया गया। दिव्यांगजन कौशल परिषद को विभिन्न एसएससी द्वारा प्लेसमेंट के संबंध में की गई सहायता पर चर्चा की गई। क्यूआरसी में एक्सपोजिटरी की अर्हता पर चर्चा की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया गया था। इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि संवर्धित दिव्यांगता विशिष्ट प्रशिक्षण अवधियों और क्यूआरसी के अनुसार एनक्यूआर के संबंध में दिव्यांगजनों की अर्हता रजिस्टर करने एवं उसके पश्चात एनएसक्यूसी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> एसएससी द्वारा प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के विशिष्टता खंड पर पुनः विचार किया जाना; कार्य भूमिकाओं के लिए नाम दिए जाने चाहिए, उदाहरण के तौर पर हिन्दी टाइपिस्ट के पास हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइपिस्ट की विशेषज्ञता होना। यह फीडबैक जनवरी क्यूआरसी में भी दिया गया था। भविष्य में क्यूआरसी प्रस्तुति को तुलना की दृष्टि से सुगम बनाने के लिए प्रशिक्षक के प्रवेश प्रोफाइल एवं प्रशिक्षण अवधि की भिन्नताओं का मूल क्यूपी संख्या से किया गया मिलान चिन्हांकित किया जाना चाहिए। 	अनुमोदित
----	---	---	---	----------

अनुलग्नक 2: वाक एवं श्रवण बाधित के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता के संबंध में मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

- उम्मीदवार की दिव्यांगता का सत्यापन मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार करें। (कृपया नोट करें : प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अनुसार, बैच में बहु-दिव्यांगता वाले उम्मीदवार नहीं होने चाहिए तथा दिव्यांगता का प्रकार एसडीएमएस में दिए गए अनुसार ही होना चाहिए)।
- मुक्त होकर प्रश्न पूछें। स्वयं कोई अनुमान न लगाएं। उदाहरण के तौर पर आपको प्रशिक्षुओं से यह ज्ञात करना है कि क्या वे मूल्यांकन सेंटअप में किसी प्रकार का कोई बदलाव लाया जाना आवश्यक समझते हैं।
- डोमेन एसएससी द्वारा निर्धारित मापदंडों के प्रति किसी प्रकार की कोताही बरते बिना व्यावहारिक भाग सहित अपने मूल्यांकन व्यक्ति विशिष्ट करने के लिए तैयार रहें।
- उम्मीदवार को वांछित सहायक डिवायस उपलब्ध करवाएं जो उम्मीदवारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं।
- यह समझ लें कि प्रत्येक दिव्यांग प्रशिक्षु को अपनी यात्रा स्वयं ही करनी है। उसके पास स्वयं ज्ञात किए गए समाधान हो सकते हैं जो उनके लिए बेहतर उपयोगी हैं। आप अपने दिव्यांग प्रशिक्षुओं से उन प्रक्रियाओं का पालन करने की अपेक्षा न करें जैसी आपके ऐसे प्रशिक्षु करते हैं जो दिव्यांग नहीं हैं।
- स्मरण रहे कि आपके दिव्यांग प्रशिक्षुओं को आगे चलकर ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करना है जो दिव्यांग नहीं हैं। दया करने, महत्व घटाने अथवा मानकों को न्यून करने से उद्देश्य हासिल नहीं हो सकेगा।
- प्रति घंटा 20 मिनट का विस्तार दिया जाना उचित होगा। इसे परिस्थितियों / उम्मीदवार की अपेक्षाओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है (विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एमएसजेई द्वारा विकसित परीक्षा दिशानिर्देश देखें)।
- स्क्राइब / लेखक / रीडर / प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं की अनुमति 40% अथवा दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा अपेक्षा किए जाने की स्थिति में दी जा सकती है।
- मूल्यांकन कक्ष में उम्मीदवार को दी जाने वाली सामान्य सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए।
- प्राधिकरण द्वारा जारी स्वास्थ्य / सुरक्षा दिशानिर्देश, यदि कोई हों, का अनुसरण करें।

विशिष्ट दिशानिर्देश

- श्रवण बाधित व्यक्ति के साथ तब तक ऊंची आवाज में बात न करें जब तक वे स्वयं आपसे इसके लिए अनुरोध न करें। सामान्य स्वर में बात करें और अपने होंठ स्पष्ट दिखाई देने का सुनिश्चय करें।
- स्पष्ट स्वर में बात करें और यह प्रयास करें कि आसपास के वातावरण में अनावश्यक शोर कम से कम हो।
- यदि आपसे अपनी बात दोहराने के लिए कहा जाए तो आपका यह उत्तर कि "कुछ नहीं, कुछ खास नहीं" यह संकेत दे सकता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए आपको अपनी बात दोहरानी पड़े। ऐसा कहना उचित नहीं होगा; आपको अपनी बात दोहरानी चाहिए।
- बात करने के दौरान चेहरा देखते हुए बात करें तथा किन्हीं वस्तुओं (जैसे कि आपके हाथ) को अपने मुख से दूर रखें।
- दुर्भाग्यवश अथवा ऐसे व्यक्ति के साथ अन्य किसी व्यक्ति की ओर सीधे देखने के स्थान पर श्रवण बाधित व्यक्ति की ओर देखते हुए बात करें।
- यह ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के संकेतों को समझें कि कहीं वह सांकेतिक भाषा, भाव मुद्रा, लिखकर अथवा बोलकर अपनी बात तो नहीं कहना चाहता है।
- विद्यार्थी को अपने मुख के भाव, संकेत स्पष्ट दिखाने तथा / अथवा होंठ पढ़ने की सुविधा देने के लिए कमरे में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें।
- बेहतर समझ के लिए प्रश्न पत्र विजुअल / चित्रों से युक्त होना चाहिए।

अनुलग्नक 3: सहायक उपकरण, प्रशिक्षुओं से पूर्व-अपेक्षाएं तथा प्रस्तावित विस्तारित घंटों का संक्षिप्त वर्णन

प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित टूल्स / उपकरणों की सूची

वाक् एवं श्रवण बाधित को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी टूल उपयोगी हो सकता है।

- सहायक उपकरण / सर्विस
- एआई -लाइव
- कैप्शंस फर्स्ट
- कैप्शंस 2020
- क्लोज्ड कैप
- आओ बात करें (लैट अस टॉक)
- एलसीडी टी.वी.
- विजुअल पाठ्यक्रम
- कम्प्यूटर

कृपया नोट करें कि वाक् एवं श्रवण बाधितों के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा मानव संसाधनों के उपयोग के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा के द्विभाषिण (आईएसएल) की अनिवार्यता की गई है।

प्रशिक्षक की अर्हता

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता : किसी भी विषय में स्नातक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से प्रबोध स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण। हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टाइपिंग, सचिव (हिन्दी) के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव ।

डोमेन एसएससी (उपर्युक्तानुसार) के अलावा प्रशिक्षक से अपेक्षित विशिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाएं
दिव्यांगता विशिष्ट टॉपअप माड्यूल - दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा जारी दिव्यांगता विशिष्ट टॉपअप प्रशिक्षण / प्रशिक्षक - दिव्यांगजन का क्यूपी से संबंध दिशानिर्देशों के अनुसार समावेशी प्रशिक्षक दिव्यांगजन कौशल परिषद द्वारा न्यूनतम 80% अर्हता अंकों के साथ प्रमाणित होना चाहिए।